राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में जॉब वर्क संबंधी घोटालों की जांच

1693. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मध्य प्रदेश स्थित मिलों में जॉब वर्क में किए गए घाटालों की जांच कब से चल रही है। और इन घोटालों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त होने की जानकारी मिली है;

(ख) इन घोटालों की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कब सौंपा गया था और उनके द्वारा जांच रिपोर्ट कब सौंपी गई थी तथा इसमें किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया है;

(ग) इन घोटाले के अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) निगम के उप महाप्रबंधक, श्री कपूर द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम रहा तथा उनकी बीमारी के इलाज पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) से (घ) इन्दौर की स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स को छोड़कर जहां 3194 कि०ग्रा० यार्न की कमी हुई है मध्य प्रदेश की एन टी सी मिलों में जॉब वर्क में कोई घोटाला नहीं हुआ है। इसमें 1.94 लाख रुपए की राशि ग्रस्त है। जांच के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 17 नवम्बर 1995 को केस दर्ज किया था तथा श्री जे एन कपूर, उपमहाप्रबंधक स्वदेशी टैक्सटाइल इन्दौर के विरुद्ध भारी दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्यवाही का सुझाव दिया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुरोध पर श्री जे एन कपूर के विरुद्ध दिनांक 31.7.96 को विभागीय जांच शुरु की थी जांच प्रक्रिया दिनांक 17 जुलाई, 1997 को पूरी हो गई है तथा जांच रिपोर्ट शीघ्र अपेक्षित है। उनके उपचार पर 1994-95 से 2,59,470.00 रु० की राशि खर्च हो चुकी है।

Rehabilitation of Child Labour in Textile Industry

1694. SHRI MUKESH R. PATEL:
SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of child workers are employed in the textile industry;

(b) if so, the details thereof, State-wise;

(c) what steps are taken by Government to remove child labour; and

(d) what are Government's plans for rehabilitation of child labour?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) and (b) A survey conducted by National Council for Applied Economic Research, New Delhi in 1994 reveals that, 2.7% of the work-force engaged in carpet industry of Uttar Pradesh are hired child labour. However, state-wise figures are not available on child labour employed in the carpet industry.

(c) The steps taken by the Government to remove child labour from the Indian carpet industry include: enforcement of child labour laws; compulsory registration of carpet exporters with the Carpet Export Promotion Council (CEPC); inspection of registered looms and introduction of "Kaleen" label on export of carpets as a hallmark of commitment towards elimination of child labour from the carpet industry.

(d) To rehabilate the child labour weaned away from capret industry, the steps taken by the Government in Textiles Ministry are as follows:

(i) creation of welfare fund by Carpet Export Promotion Council for children weaned away from the carpet industry;

(ii) from the welfare fund, opening of schools in the carpet producing belts of the eastern part of Uttar Pradesh; and

(iii) from the welfare fund, provision of mid-day meal and a stipend of Rs.100/—per month to the children withdrawn from the carpet trade.

विद्युत करघों का पंजीकरण

1695. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत करघों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है,